जिला योजना (एस0सी0पी0)
संख्या–589/1 2008-03(1)/22 /08

प्रेषक,

सी0 भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखंड ।

ऊर्जा विभाग,	देहरादून: दिनांक 17–अप्रैल, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008–09 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिये अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–267/XXvii(1)/2008, दिनांक 27–3–2008 एवं राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या– 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0रा0/2008, दिनांक 24–3–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों में जनपदवार जिला सेक्टर में अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ रू0 16164 हजार (एक करोड़ इकसठ लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित योजनावार एवं प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशी कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे ।

2– व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज रूल्स मितव्ययता टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को दिनांक 31–3–2009 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजनाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं पर केन्द्रांश एवं राज्यांश अवमुक्त किये जाने के बाद ही कोषागार से आवश्यक धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.3.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

8– जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।

क्रमशः --- 2

9- जिलाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्तर-1 में वर्णित शासनादेश दिनांक 27-3-2008 एवं 24-3-2008 में निहित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा ।

10- उक्त शासनादेश दिनांक 24-3-2008 की शर्त-4 के अनुसार रू0 50-00 लाख से अधिक की स्वीकृति सम्बन्धित मण्डलायुक्त से सहमति प्राप्त कर जारी की जायेगी ।

11- नये कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी ।

12- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक(मा0मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव)अर्थात सक्षम स्तर को कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जायेगा ।

13- स्वीकृत की जा रही धनराशी का अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ उपयोग किया जायेगा ।

14- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810-वैकल्पिक ऊर्जा-आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

संलग्न- यथोक्त ।

भवदीय,

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्या.-589/I/2008-03(1)/ 22 /08, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तराखंड देहरादून ।
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखंड।
3- निदेशक, उरेडा,देहरादून।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
5- नियोजन विभाग/ वित्त अनुभाग-2 /समाज कल्याण प्रकोष्ट ।
6- प्रभारी एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7- विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या-589/1/2008-03(1)/ 22 /08, दिनांक अप्रैल 2008 का संलग्नक

अनुदान संख्या-30 (आयोजनागत)

धनराशी रू0 हजार में

लेखाशीर्षक		धनराशि	DDn	HRD	THR	EKT	PRI	RDP	CHMI	PTH	CHMP	ALM	BGR	NTL	USN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2810-वैकल्पिक ऊर्जा-01-बायो ऊर्जा-103-जैवपिण्ड	अनुदान	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
03-बायोमास आधारित योजनाओं हेतु उरेडा को सहायता	उपदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91- उरेडा के लिये अनुदान (जिला योजना)															
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	योग	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
02-सोलर इनर्जी-101-सोलर थर्मल कार्यक्रम	अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 91-सोलर इनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को अनुदान	उपदान	572	0	10	20	0	0	0	0	86	19	165	250	0	22
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 50-उपदान	योग	572	0	10	20	0	0	0	0	86	19	165	250	0	22
57202-सोलर इनर्जी-102-सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	अनुदान	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-सी0 फोटो0 वोल्टाईक उरेडा को अनुदान(जिला योजना)	उपदान	12739	517	513	1075	170	1095	330	328	727	1025	4758	200	825	1176
20-सहायकअनुदान/अंशदान/राजसहायता-50-उपदान	योग	12740	518	513	1075	170	1095	330	328	727	1025	4758	200	825	1176
60-ऊर्जा के अन्य स्त्रोत-800-अन्य व्यय	अनुदान	2570	0	0	0	100	0	0	0	420	550	0	1500	0	0
02-अनु0 जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 91-उरेडा/नेडा के लिये अनुदान(जिला योजना)	उपदान	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
20-सहायकअनुदान/अंशदान/राज सहायता-50-उपदान	योग	2606	0	0	0	100	0	0	0	456	550	0	1500	0	0
60-ऊर्जा के अन्य स्त्रोत-800-अन्य व्यय	अनुदान	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-अनु0 जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	उपदान	140	0	34	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	95
95- ग्रा0 ऊर्जा तक0हेतु उरेडा को अनुदान(जिला योजना) 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 50-उपदान	योग	186	0	34	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	95
योग :-	अनुदान	2677	1	0	0	146	0	0	0	420	550	60	1500	0	0
	उपदान	13487	517	557	1095	181	1095	330	328	849	1044	4923	450	825	1293
	योग	16164	518	557	1095	327	1095	330	328	1269	1594	4983	1950	825	1293

कुल धनराशि रू0 16164 हजार (रू एक करोड़ इकसठ लाख चौसठ हजार मात्र)

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव ।

15/4/08